हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

तेरहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 124

शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2026/29 कार्तिक, 1948(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

मान्य सदन की कार्यवाही आरम्भ होते ही माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने पुन: मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले कल इस माननीय सदन में सत्ता पक्ष की ओर से एक वरिष्ठ मंत्री ने सेना के विरुद्ध और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में गम्भीर टिप्पणी की है जोकि सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनी हुई है। विपक्ष ने पिछले कल सभापति महोदय से बार-बार आग्रह किया था कि इस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए क्योंकि पूरे देश और प्रदेश से बहुत सारे सेना के जवानों की ओर से इसके बारे में संदेश प्राप्त हुए हैं। सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया में भी इस विषय को कवरेज मिली है। इसके बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है जबकि विपक्ष ने पिछले कल भी यह विषय उठाया था।

सरकार की ओर से इस प्रकार की टिप्पणियां करने वाले मंत्री को संरक्षण देना कतई उचित नहीं है। मुख्य मंत्री जी आज इस पूरे मामले पर सदन में स्पष्ट करें कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति सेना के विरुद्ध इस प्रकार की टिप्पणियां कैसे कर सकता है जबकि हमारे सैनिक देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने हेतु बॉर्डर पर खड़े रहते हैं।

संवैधानिक पद पर बैठा कोई मंत्री सेना के विरुद्ध इस प्रकार की टिप्पणी करे और बार-बार करे तथा अपनी टिप्पणी पर अडिग रहते हुए यह कहे कि उसने जो कुछ कहा है वह गलत नहीं है तो वह मंत्री मंत्रिमंडल में रहने का हकदार नहीं है। मुख्य मंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करें और पूरे प्रकरण पर कार्रवाई करें। सबसे पहले सेना के विरुद्ध की गई टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। इसके साथ ही मुख्य मंत्री जी इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाएं। उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय से यह भी आग्रह किया कि भले ही वे कुछ देर के लिए मान्य सदन को स्थगित करके वस्तुस्थिति का पता करें और बाद में इस सन्दर्भ में अपनी व्यवस्था दें।

उक्त विषय पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि माननीय राजस्व मंत्री की स्पीच उन्होंने स्वयं सुनी है और स्पीच में सेना के प्रति कहीं भी ऐसे शब्दों को प्रयोग नहीं किया गया है। विपक्ष के माननीय सदस्य झूठ बोलने में पी0एच0डी0 करके आए हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कुछ कहा है वह तथ्यों के आधार पर कहा है। इसलिए विपक्ष से आग्रह है कि काम रोको प्रस्ताव पर 'हिमाचल ऑन सेल' के सन्दर्भ में लाए गए विषय पर चर्चा करें।

<u>अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था</u>

"बाकी की तो टिप्पणियां वांछित नहीं हैं लेकिन यह जो पार्ट है कि सेना के खिलाफ टिप्पणी हुई है, I will peruse the record. As you know, because I was not much well, so I was not here yesterday. I will go through the record, and I will come to the House after some time. Immediately, let us start the business. Thereafter, I come back to the House. The words which have been used, and if those words are derogatory and against the sanctity of the Army/Defence Forces, certainly, those words will be removed from the record. Please, give me time. मैं एक-एक शब्द को देखूंगा और जो कुछ भी अवांछित लगेगा उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। जहां मुझे महसूस होगा कि वाकई में ही यह डिफैंस फोर्सेस की मान-मर्यादा के खिलाफ है और देश की सुरक्षा के खिलाफ है तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग इस माननीय सदन में हुआ है तो निश्चित तौर पर वे सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेंगे। I have assured the House that I will look into all these matter. We are all for the Defence Forces. We respect them. वे देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो सेवाएं दे रहे हैं उसके प्रति हम सभी के मन में सम्मान है। I assure the House that I will peruse each and every word of the proceedings and will come to the House and all those undesired material will be removed from the record."

3. नियम-67 के अन्तर्गत दिनांक 17.11.2026 को प्रस्तुत निम्न स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा:

"आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के शासन में बिकता हिमाचल - 'Himachal on sale' पर यह सदन अविलंभ चर्चा करे।"

निम्नलिखित ने प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा में भाग लिया:-

{(श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, माननीय सदस्य (Not participated in deliberation)}

1. श्री आशीष बुटेल, माननीय सदस्य

(11.32 बजे पूर्वाह्न विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

(11.38 बजे पूर्वाह्न विपक्ष के कुछेक माननीय सदस्य सदन में पुन: वापिस आए।)

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरे पास दोनों तरफ से तीन-तीन नामों की सूची आई है। लेकिन अब विपक्ष की ओर से एक और रिवाइज्ड सूची भेजी गई है। पहले वाली सूची में श्री इन्द्र दत्त लखनपाल का नाम पहले नम्बर पर था लेकिन रिवाइज्ड सूची में श्री आशीष शर्मा, श्री दलीप ठाकुर के नाम शामिल किए गए हैं और श्री इन्द्र दत्त लखनपाल का नाम तीसरे स्थान पर कर दिया गया है। इसके बाद श्री इन्द्र सिंह चौथे स्थान पर हैं और श्री दीप राज का नाम पांचवे नम्बर पर है। मैं सभी सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दे पाऊंगा। मैं केवल एक माननीय सदस्य को इस तरफ से और एक माननीय सदस्य को उस तरफ से बोलने का अवसर दूंगा। मैं विपक्ष के सदस्य को प्राथमिकता दे रहा हूं। आपकी सूची में जो भी एक माननीय सदस्य बोलना चाहे वह अपनी बात रख सकता है।"

2. श्री आशीष शर्मा, माननीय सदस्य

माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री श्री राजेश धर्माणी ने माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा द्वारा शिमला बाईपास पर व्यावसायिक परिसर के निर्माण हेतु निजी पार्टी को बिना टेंडर दिए आबंटन करने तथा भूमि के मूल्य में 75 प्रतिशत की छूट देने के विषय पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस कार्य के लिए टेंडर भी हुआ है, माननीय सदस्य को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है और वह भूमि भी किसी को हस्तांतरित नहीं की गई है। उस भूमि का स्वामित्व हिमुडा के पास ही है तथा आगे भी उसी के पास रहेगा। उपलब्ध अभिलेखों में भूमि के मूल्य पर 75 प्रतिशत छूट दिए जाने का कोई भी उल्लेख नहीं है।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते रहे।)

Ruling by the Hon'ble Speaker

“Now I will request the Hon’ble Chief Minister to reply. I have curtailed the list to one Member from this side and one Member from the other side. I have exercised my extraordinary powers for this purpose today. The Hon’ble Chief Minister will reply to the Motion under Rule-67. We have already spent more than nine to ten hours on this discussion, so enough is enough now. There are five Members on the list, but the House also has a lot of business to transact, and we have to conclude that business as well. All the Hon’ble Members were

requested to limit their statements to five or ten minutes, but each of them has spoken for more than 20 minutes. Members from both sides have spoken for more than 20 minutes each, and equal time has been allotted to both sides. The list now stands curtailed."

माननीय मुख्य मंत्री ने नियम-67 के अन्तर्गत विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए एक-एक मुद्दे पर उत्तर देना आरम्भ किया।

(12.03 बजे अपराह्न विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गए।)

माननीय अध्यक्ष द्वारा सूचना

माननीय अध्यक्ष ने मान्य सदन को सूचित किया कि तिब्तियन गवर्नमैंट, जिसका हैडक्वार्टर धर्मशाला में है, उसकी माननीय अध्यक्ष, Ms. Dolma Tsering; छः माननीय सांसद तथा उसके सचिवालय का स्टाफ भी मान्य सदन में उपस्थित हुआ है उन सभी का यहां पधारने पर स्वागत है।

माननीय मुख्य मंत्री ने नियम-67 के अन्तर्गत विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का पूर्णरूपेण उत्तर दिया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"विपक्ष की ओर से विधान सभा का जो रेफरेंस आया था, that is not a part of the record. Because that day itself, I said that Vidhan Sabha premises cannot be discussed in the Vidhan Sabha by any of the Hon'ble Members and this will not be a part of the record. So referring Vidhan Sabha time and again, there is no point to refer there, because Vidhan Sabha is not a part of the Government. Vidhan Sabha is an independent Secretariat and the Speaker is as a custodian of the Vidhan Sabha to look after the Vidhan Sabha Secretariat. अब नियम-67 के अंतर्गत माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

तो प्रश्न यह है कि 'आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के शासन में बिकता हिमाचल - 'Himachal on sale' विषय पर सदन विचार करे, इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाए?

(स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार)

4. कागज़ात सभा पटल पर :

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ता (तीसरा संशोधन) (शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2025 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.(1)-1/2012, दिनांक द्वारा 13.11.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 18.11.2025 को प्रकाशित;

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग वितरण निष्पादन विनियम (तीसरा संशोधन) मानक, 2025 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.पी.ई.आर.सी.-401, दिनांक द्वारा 01.12.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 06.12.2025 को प्रकाशित;

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ता (चौथा संशोधन) (शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.(1)-1/2012, दिनांक द्वारा 18.02.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 20.02.2026 को प्रकाशित;

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विचलन निपटान विनियम (तीसरा संशोधन) (तंत्र और संबंधित मामले), 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.पी.ई.आर.सी.-एच.(1)25/2024, दिनांक द्वारा 28.03.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 30.03.2026 को प्रकाशित;

(v) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.पी.ई.आर.सी./151-वॉल्यूम-III, दिनांक द्वारा 10.04.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 13.04.2026 को प्रकाशित;

(vi) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना तथा टैरिफ निर्धारण के आठवां नियम और शर्तें संशोधन) विनियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.पी.ई.आर.सी./428, दिनांक द्वारा 24.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 24.06.2026 को प्रकाशित;

(vii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हिमाचल प्रदेश) विनियम (विद्युत ग्रिड कोड), 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.पी.ई.आर.सी.-ग्रिड कोड (388), दिनांक द्वारा 18.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 27.06.2026 को प्रकाशित;

(viii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (रूपटॉप सोलर) विनियम (चौथा संशोधन) (पीवी ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम), 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.पी.ई.आर.सी.-एच. (1)-11/2015, दिनांक द्वारा 19.08.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 22.08.2026 को प्रकाशित;

(ix) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ता (पांचवां संशोधन) (शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच. (1)-1/2012, दिनांक द्वारा 13.10.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 15.10.2026 को प्रकाशित;

(x) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 एवं 2024-25; और

(xi) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (b) के अन्तर्गत एसजेवीएन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2025-26।

5. सदन की समिति के प्रतिवेदन:

(1) **श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2026-27)** ने समिति का अष्ट्म मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** तथा महिला एवं बाल विकास निगम से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी।

(2) **श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2026-27)** ने समिति का **57वां प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी।

(3) **श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति, वर्ष (2026-27)** ने समिति का 21वां प्रतिवेदन जोकि कार्मिक विभाग से संबंधित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी।

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :

Ruling by the Hon'ble Speaker

"अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं। श्री पवन कुमार काजल जी उपस्थित नहीं हैं तो नियम-62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गिर गया। श्री राम कुमार जी उपस्थित हैं। I will request him that I will allow him after passing the Bill."

7. विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(1.26 बजे अपराह्न विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में पुन: वापिस आए।)

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भोजनावकाश का समय हो गया था लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सोचा कि विपक्ष के विधायक सदन से बाहर हैं और उनकी अनुपस्थिति में विधेयक पारित करवा लेते हैं। इस तरह काम करवाने की आदत इस सरकार की बन गई है। ये विपक्ष का सामना नहीं करना चाहते। विधेयक भोजनावकाश के बाद भी पारित हो सकता था।

(1.28 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.30 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरांत 2.45 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

Ruling by the Hon'ble Speaker

"The House is adjourned due to lack of quorum. The House will reassemble once the quorum is complete."

(3.03 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

विधेयक पर निम्नलिखित ने चर्चा की :-

1. श्री रणधीर शर्मा, माननीय सदस्य
2. श्री त्रिलोक जम्वाल, माननीय सदस्य
3. श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

उक्त सभी माननीय सदस्यों और नेता प्रतिपक्ष ने सरकार द्वारा लाए गए संशोधन विधेयक को जन-विरोधी बताते हुए वापिस लेने का आग्रह किया क्योंकि उनके अनुसार इस संशोधन से गरीब लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-3 में जो संशोधन माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा की ओर से प्राप्त हुए उन्हें स्वीकार किया जाए।

(माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा द्वारा दिया गया संशोधन अस्वीकार)

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।
खण्ड 2, 3 व 4 विधेयक का अंग बने।
खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) पारित हुआ।

(2) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) पर विचार किया जाए।

विधेयक पर निम्नलिखित ने चर्चा की :-

1. श्री रणधीर शर्मा, माननीय सदस्य
2. श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री त्रिलोक जम्वाल, माननीय सदस्य

उक्त माननीय सदस्यों और नेता प्रतिपक्ष ने सरकार द्वारा लाए गए संशोधन विधेयक को कर्मचारी विरोधी बताते हुए गहन विचार-विमर्श हेतु सिलैक्ट कमेटी को भेजने व वापिस लेने का आग्रह किया तथा चाहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के हक में जो बेनिफिट दिए हैं उन्हें दिया जाए।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 3,7 व 18 पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा की ओर से जो संशोधन प्राप्त हुए हैं उन्हें स्वीकार किया जाए।

(माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा द्वारा दिए गए संशोधन अस्वीकार)

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।
खण्ड 2 से 18 तक विधेयक का अंग बने।
अनुसूची विधेयक का अंग बनीं।
खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 27) पारित हुआ।

(3) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।
खण्ड 2 से 22 तक विधेयक का अंग बने।
खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 29) पारित हुआ।

(4) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाए।

उक्त बिल के सन्दर्भ में **माननीय मुख्य मंत्री** ने सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह बिल हिमाचल की सम्पदा को बचाने के लिए लाया गया है जोकि सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है। इससे प्रदेश की जनता का फायदा होगा।

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।
खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।
खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24) पारित हुआ।

(5) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) पर विचार किया जाए।

उक्त संशोधन विधेयक पर विचार रखते हुए माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से इस बिल की आवश्यकता थी क्योंकि जो लोग रास्ते रोकते थे यह उस समस्या का समाधान करने में उपयोगी साबित होगा। परन्तु इसमें अनुरोध यह है कि इस कानून का मिसयूज़ न हो। कई बार प्रभावशाली लोग कानून का सहारा लेकर गरीब लोगों के साथ ज्यादती कर देते हैं उसको रोकने के लिए इस कानून में व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि कई बार लोग पीने के पानी और सिंचाई की स्कीमों की पाइपों को अपनी ज़मीन से आगे जाने से रोकते हैं उस समस्या के समाधान के लिए इसमें प्रावधान किया जाए। इसी तरह से कई लोग बिजली की तारों को भी अपनी ज़मीन के ऊपर से नहीं जाने देते जबकि उनकी तारें भी किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन से होकर गुज़रती हैं। इस समस्या का समाधान करने का भी प्रावधान किया जाए। उन्होंने सरकार से सामूहिक रास्तों में आ रही समस्या के निदान हेतु भी व्यवस्था करने का भी आग्रह किया।

माननीय राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा की ओर से जो संशोधन प्राप्त हुए हैं उन्हें स्वीकार किया जाए।

(माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा द्वारा दिया गया संशोधन अस्वीकार)

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।
खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।
खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 25) पारित हुआ।

(6) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा प्राधिकृत श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 23) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।
खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।
खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 23) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 23) पारित हुआ।

(7) **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-
1. श्री रणधीर शर्मा, माननीय सदस्य
2. श्री जय राम ठाकुर, माननीय नेता प्रतिपक्ष

माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने उक्त संशोधन विधेयक को यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता के विरुद्ध बताते हुए वापिस लेने का आग्रह किया क्योंकि उनके अनुसार इस संशोधन विधेयक से यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने वाइस चांसलर की रिटायरमैंट ऐज 70 वर्ष करने की व्यवस्था का भी विरोध किया और इस संशोधन विधेयक को वापिस लेने का आग्रह किया।

माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का तर्क के साथ उत्तर दिया और संशोधन विधेयक को पारित करने का आग्रह किया।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 7 व 8 पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा की ओर से जो संशोधन प्राप्त हुए हैं उन्हें स्वीकार किया जाए।

(माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा द्वारा दिए गए संशोधन अस्वीकार)

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 8 पर सरकार की ओर से जो संशोधन आया है उसे स्वीकार किया जाए।

(संशोधन स्वीकार।)

खण्ड-8 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

बिल पर खण्डश: विचार हुआ।
खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 व 11 विधेयक का अंग बने।
खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 26) संशोधित रूप में पारित हुआ।

5.00 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****